समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

परियोजना–राज्य उच्च पथ संख्या–88 वरूणापुल (एन0एच0–103) रसियारी पथ हेतु चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु भू–अर्जन के प्रस्ताव पर सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन एवं विशेषज्ञ समूह के स्तर पर किये गये अध्ययन का मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम–30/13 के धारा–8 (1 एवं 2) के अन्तर्गत

समुचित सरकार का विनिश्चय

इस परियोजना के लिए अधियाची पदाधिकारी, उप महाप्रबंधक, (तक0) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिहार स्टेट रोड डेवलॉपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, समस्तीपुर, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर के द्वारा उनके निम्नांकित पत्रों के माध्यम से भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) के धारा–2 (1)(b) के तहत भू–अर्जन करने हेतु मौजावार/चादरवार अलग–अलग प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

क्रमांक	अधियाची पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक	अंचल का नाम	थाना/थाना नं0	मौजा का नाम	अर्जनाधीन रकवा (एकड़ में)
1	390/24.08.2017	बेनीपुर	बहेड़ा/142	डखराम चादर नं0–1	3.02
2	390/24.08.2017		बहेड़ा/142	डखराम चादर नं0–3	0.89
3	390/24.08.2017		बहेड़ा/151	बेनीपुर	6.3410
4	390/24.08.2017	घनश्यामपुर	बहेड़ा/397	पाली चादर नं0–2	11.9150
5	485/12.10.2017		बहेड़ा/347	पोहद्दी चादर नं0–2	4.42
					कुल–26.586

1. उपरोक्त अधियाचना में दरभंगा जिला के दो अंचलों के कुल पाँच (05) मौजे निहित है।
2. उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में अधिनियम की धारा–4–5 के तहत अर्जनाधीन क्षेत्र के सभी मौजाओं का संयुक्त रूप से सामाजिक प्रभाव आक्कलन ए0एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना के माध्यम से कराया गया जिससे प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन के सारांश को हिन्दी भाषा में अधिनियम के धारा–6(1) के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक–37/भू–अ0, दिनांक–12.01.2019 के द्वारा निर्दिष्ट स्थलों एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन कराया गया।
3. अधिनियम के धारा–7 के तहत उपरोक्त प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का विशेषज्ञ समूह के द्वारा अध्ययन काराया गया जिसका मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक–22.02.2019 को प्राप्त हुआ। इस मूल्यांकन प्रतिवेदन को भी अधिनियम के धारा–7(6) के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक–243, दिनांक–12.03.2019 के द्वारा निर्दिष्ट स्थलों एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन कराया गया।
4. उपरोक्त प्रकाशन के उपरांत अर्जनाधीन क्षेत्र के हितबद्ध अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।
5. उपरोक्त परियोजना के निमित अधियाची विभाग से प्राप्त मौजावार अलग–अलग प्रस्तावों एवं उन पर संयुक्त रूप से कराये गये सामाजिक प्रभाव आक्कलन अध्ययन के प्रतिवेदन एवं उसपर विशेषज्ञ समूह से प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन का अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर गहन अवलोकन विश्लेषण एवं समीक्षा करने के उपरांत निम्नांकित तथ्य स्पष्ट हुआ है :–

(क) यह परियेाजना मुख्य परियोजना वरूणा ब्रिज, समस्तीपुर से रसियारी रोड, दरभंगा का उप परियोजना है। मुख्य परियोजना सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग–103 और कई महत्त्वपूर्ण राज्य राजमार्गों को महत्त्वपूर्ण अंतर–राज्य कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह दो जिलो के 100 से अधिक गांवों और कई अर्ध शहरी/शहरी बाजार क्षेत्रों को जोड़ेगी। मौजूदा सड़क कई हिस्सों में बहुत खराब स्थिति में है। अधिकांश सी0डी0 संरचनाएं क्षतिग्रस्त है। बेहतर सड़क की स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाली एक महत्त्वपूर्ण आबादी के लिए सभी मौसम, आर्थिक, और परेशानी मुक्त कनेक्टिविटी के रूप में कार्य करेगी।

प्रस्तावित सड़क वरूणा पुल दलसिंहसराय से रसियारी रोड, दरभंगा तक सीधे गुजरती है। पहले मौजूदा मोटर वाहन मार्ग एक अर्धवृताकार वक्रता एवं दुगुनी लंबी सड़क आशापुर के माध्यम से दरभंगा शहर होते हुए बहेड़ा से रसियारी रोड तक जाती थी। बेनीपुर, डखराम चादर–1 एवं 3 इस सड़क के माध्यम से दरभंगा शहर और वरूणा पुल के शुरूआती स्थल तक जुड़े हुए थे परंतु इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर थी और अधिकांश सी0डी0 सरंचनाएं कार्यात्मक नहीं है। पाली और पोहद्दी गांवों में दरभंगा शहर, बहेड़ा और रसियारी जाने हेतु कोई भी कम समय में दूरी तय करने वाला सड़क मार्ग

उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों में वाहन चलने हेतु सड़क उपलब्ध है, लेकिन यह एकतरफा एवं संकीर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रस्तावित सड़क ना सिर्फ प्रत्यक्ष गांवों को बल्कि पूरे जिले के लिए लाभप्रद साबित होगा।

उक्त प्रस्तावित सड़क में कुल भूमि में से पाँच गाँवों में 26.586 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। इसके लिए अर्जनाधीन भूमि में से दरभंगा जिला के दो अंचलों यथा बेनीपुर एवं घनश्यामपुर के कुल 5 (पाँच) मौजे का भू–भाग प्रभावित होता है। ये मौजे निम्नांकित है :–

1. बेनीपुर :– (1) बेनीपुर (2) डखराम चादर–1 (3) डखराम चादर– 3

2. घनश्यामपुर :– (1) पाली चादर–2 (2) पोहद्दी चादर–2

उक्त प्रस्तावित सड़क का लाइनिंग इस प्रकार बनाया गया है जिससे आवादी के विस्थापित होने की संभावना काफी कम है तथा कृषि भूमि अधिक है।

(ख) इस प्रस्तावित सड़क का लाईनिंग इस प्रकार बनाया गया है जिसमें न्यूनतम दूरी तक भूमि अर्जन करने की आवश्यकता हो रही है।

(ग) इस परियोजना में न्यूनतम विस्थापन के विकल्प को चुना गया है। इसमें काफी कम संख्या में आवादी के विस्थापित होने की संभावना है। जो छिटफुट परिवार विस्थापित होंगे उनके लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनर्स्थापन कराने की कार्रवाई की जायेगी।

(घ) इस अर्जन से होने वाले कुप्रभाव की तीव्रता कम है। कुछ कुप्रभाव प्रतिवेदित है जिसका सामाधान सुधारात्मक तरीका अपनाकर किया जा सकेगा।

(ङ) इस परियोजना का सामाजिक प्रभावों में से सकारात्मक ज्यादा है तथा नाकारात्मक कम है।

(च) उक्त सड़क निर्माण होने पर ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अपने दैनिक कार्यों में जो असुविधा होने की संभावना प्रतिवेदित है उनके निदान के लिए प्रावधानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

(छ) प्रतिवेदन के अनुसार भू–अर्जन क्रम में लोगों के सामने भूमि का मापी कराने, स्वत्व निर्धारित कराने, प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान प्राप्त करने वगैरह समस्या आ सकती है जिसके समाधान हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी।

विनिश्चय **:–** उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह विनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इस हेतु भू–अर्जन करने का सामाजिक मूल्य (Social Cost) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benifits) ज्यादा है।

निर्णय **:–** परियोजना–राज्य उच्च पथ संख्या–88 वरूणापुल (एन0एच0–103) रसियारी पथ हेतु चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु भू–अर्जन के लोक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित पाँच (05) मौजे के चिन्हित भू–खण्डों का अर्जन अधिनियम–30/13 के प्रावधानों के तहत प्रभावित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान करते हुए किया जायेगा तथा इसके लिए अधिनियम के धारा–11 के तहत हितबद्ध रैयतों के नाम सहित अधिसूचनाओं का प्रकाशन सम्यक रूप से कराया जायेगा।

समाहर्त्ता,
–सह–
समुचित सरकार।

ज्ञापांक 272 */भू–अ0, दिनांक* 8/1/19

प्रतिलिपि :– अचंल अधिकारी, बेनीपुर/घनश्यामपुर को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सह अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर/बिरौल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक (तक0) परियोजना कार्यान्वियन इकाई, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड (प्रकाशित) करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
–सह–
समुचित सरकार।